


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
कालूलाल बनाम नारायणलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट नम्बर 105/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>19-3-25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कालूलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>नारायण जी गुर्जर</u></p> <p>निवासी <u>देवरी (चित्तौड़गढ़)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम <u>फतेहगढ़</u> (<u>प.ए. देवरी</u>) चित्तौड़गढ़ स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>351, 351/0612</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>1.9500</u> हे० की पत्थरगड़ी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की प्रार्थना <u>फतेहगढ़ (देवरी) चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की मुगि आराजी नम्बर <u>351, 351/0612</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>1.95</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगड़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगड़ी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1.500</u> रुपये अक्षर <u>पन्द्रह सौ</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>


 (विनू देवेश)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)